

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-4/12/2019/10-11/866

भोपाल, दिनांक 3-3-20

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, दक्षिण पन्ना,
मध्य प्रदेश।

विषय:- सलेहा से कल्दा 33 के.व्ही. विद्युत लाईन के लिये 21.00 हेक्टेयर वन भूमि का प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- केन्द्रीय साधिकार समिति की बैठक दिनांक 25.02.2020

—0—

इस प्रस्ताव पर दिनांक 25.02.2020 को चर्चा की गई। प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद भारत सरकार द्वारा यह लेख किया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये चयनित 42.00 हेक्टेयर में घना वन आ रहा है। अतः आप क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये अन्य स्थल का चयन कर 11 वर्षीय रोपण योजना इस कार्यालय के पत्र दिनांक 30.12.2019 के अनुसार तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव में आवेदक संस्था द्वारा कास्ट बेनिफिट एनालिसिस प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसे प्रस्तुत करने के लिये आवेदक संस्था को निर्देशित करें।


(सुनील अग्रवाल)


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0क्रमांक/एफ-4/12/2019/10-11/867

भोपाल, दिनांक 3-3-20

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त, छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. कार्यपालन अभियंता, म0प्र0पू0क्षे0वि0वि0 कम्पनी लिमिटेड, संभाग, पन्ना, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

21